।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांक : सामान्य / 11 / 2012 / 18919-19024 दिनांक : 23/7/13

—:: परिपत्र ::—

कारागार विभाग में कारापाल, उप कारापाल, सहायक कारापाल, महामुख्य प्रहरी, मुख्य प्रहरी एवं प्रहरी पद पर कार्यरत अधीनस्थ कार्मिकों द्वारा श्रेष्ठ दायित्व सम्पादन पुरस्कृत करने के क्रम में उक्त पदधारकों को असाधारण कार्य पुरस्कार, उत्तम सेवा चिन्ह, अति उत्तम सेवा चिन्ह एवं सर्वोत्तम सेवा चिन्ह से सम्मानित किया जायेगा ।

उपरोक्त पुरस्कार / चिन्हों को प्रदान किये जाने के लिए अर्हता की शर्ते निम्नांकित होंगी—

1. उत्तम सेवा चिन्ह

राजस्थान कारागार अधिनस्थ सेवा के सदस्य —

(क) जिसने 10 वर्ष की निरन्तर बेदाग सेवा पूर्ण कर ली हो।

(ख) जो सम्पूर्ण सेवा जीवन में किसी भी लघु या वृहद दण्ड से दंडित नहीं हुआ हो। दण्ड़ का विचार करते समय दण्ड़ की परिभाषा में "सेवापुस्तिका चेतावनी" को सम्मिलित नहीं किया जावेगा ।

(ग) जिसके गत 10 वर्षो के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं की गई हो तथा सम्पूर्ण सेवा काल में कभी सत्य निष्ठा संदिग्ध नहीं पाई गई हो।

(घ) पुरस्कार देने के विचार के समय कोई भी विभागीय जांच उसके विरूद्व परिलंबित न हो तथा न ही लघु दण्ड चल रहा हो।

(ड) गत 10 वर्षो के वार्षिक कार्य मूल्यांकन टिप्पणियों के आधार पर परिशिष्ट "स" में वर्णित प्रक्रिया के आधार पर कम से कम 55 प्रतिशत अंक अर्जित करता हो।

2. अति उत्तम सेवा चिन्ह

राजस्थान कारागार अधिनस्थ सेवा के सदस्य —

(क) जिसने 18 वर्ष की बेदाग सेवा पूर्ण करली हो तथा उत्तम सेवा चिन्ह प्राप्ति को 3 वर्ष का समय पूर्ण हो गया हो।

(ख) जो सम्पूर्ण सेवा जीवन में किसी भी लघु या वृहद दण्ड से दंडित नहीं हुआ

हो। दण्ड का विचार करते समय दण्ड की परिभाषा में "सेवापुस्तिका चेतावनी" को सम्मिलित नहीं किया जावेगा ।

(ग) जिसके गत 10 वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं की गई हो तथा सम्पूर्ण सेवा काल में कभी सत्य निष्ठा संदिग्ध नहीं पाई गई हो।

(घ) पुरस्कार देने के विचार के समय कोई भी विभागीय जांच उसके विरूद्ध परिलंबित न हो तथा न ही लघु दण्ड चल रहा हो।

(ड) गत 10 वर्षो के वार्षिक कार्य मूल्यांकन टिप्पणियों के आधार पर परिशिष्ट "स" में वर्णित प्रक्रिया के आधार पर कम से कम 55 प्रतिशत अंक अर्जित करता हो।

3. सर्वोत्तम सेवा चिन्ह

राजस्थान कारागार अधिनस्थ सेवा के सदस्य –

(क) जिसने 25 वर्ष की बेदाग सेवा पूर्ण करली हो तथा अति उत्तम सेवा चिन्ह प्राप्ति को कम से कम 7 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो।

(ख) सम्पूर्ण सेवा जीवन में किसी भी लघु या वृहद दण्ड से दंडित नहीं हुआ हो।

दण्ड का विचार करते समय दण्ड की परिभाषा में "सेवापुस्तिका चेतावनी" को सम्मिलित नहीं किया जावेगा ।

(ग) जिसके गत 25 वर्षो के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं की गई हो तथा सम्पूर्ण सेवा जीवन में कभी सत्य निष्ठा संदिग्ध नहीं पाई गई हो।

(घ) पुरस्कार देने के विचार के समय कोई भी विभागीय जांच उसके विरूद्ध परिलंबित न हो तथा न ही लघु दण्ड चल रहा हो।

(ड) गत 25 वर्षो के वार्षिक कार्य मूल्यांकन टिप्पणियों के आधार पर परिशिष्ट "स" में वर्णित प्रक्रिया के आधार पर कम से कम 55 प्रतिशत अंक अर्जित करता हो।

4. असाधारण कार्य पुरस्कार

राजस्थान कारागार अधिनस्थ सेवा के सदस्यों को किसी भी क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र एवं 10,000/– नकद दिये जायेगें । यह पुरस्कार राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा के सदस्य को एक से अधिक अवसर पर एवं एक से अधिक बार निम्न कार्य सम्पादन की पुनर्रावत्ति पर प्रदान किया जा सकेगा । यह पदक वर्ष में एक बार अलंकरण समारोह में प्रदान किये जावेगें एवं सर्वोत्त सेवा के सम्मान चिन्ह्न प्राप्तकर्ता

कारागार कार्मियों को भी राज्य मुख्यालय स्तर पर अलंकरण समारोह में प्रदान किया जावेगा :–

(1) राजस्थान कारागार अधिनस्थ सेवा का ऐसा सदस्य हो जिसे विगत 3 वर्षो में कोई वृहद दण्ड नहीं मिला हो। दण्ड़ का विचार करते समय दण्ड़ की परिभाषा में "सेवापुस्तिका चेतावनी" को सम्मिलित नहीं किया जावेगा ।

(2) की विगत 5 वर्षो में सत्यनिष्ठा संदिग्ध नहीं रही हो।

(3) के गत तीन वर्षो के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं की गई हो।

<u>पात्रता का निर्धारण एवं सम्मान से अलंकरण की प्रक्रिया</u>

संदर्भित सेवा चिन्ह्नों/पुरस्कार के लिए राज्य सेवा की गणना प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल को आधार मानकर की जाएगी।

यदि किसी अधिकारी की कोई एक भी ए.पी.ए. रिपोर्ट भरी हुई नहीं है तो उनके नाम उक्त सेवा चिन्हों के लिए नहीं भिजवाए जाएं।

जिन जेल कार्मियों के नाम विभिन्न सेवा चिन्हों हेतु प्रस्तावित कर भिजवाए जा रहे हैं, उनकी सेवा पुस्तिका के आधार पर सूचना प्रमाणित कर परिशिष्ठ "अ" में संबंधित प्रभाराधिकारी, जेल द्वारा प्रमाणित कर भिजवाया जावें।

निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पुरस्कार हेतु पात्र कार्मिकों का सेवाभिलेख के आधार पर निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ठ "अ" एवं "ब" में प्रस्ताव तैयार कर उप महानिरीक्षक कारागार, रेन्ज के माध्यम से महानिदेशालय कारागार, जयपुर को प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त से पूर्व प्रेषित किये जाये।

उप महानिरीक्षक कारागारों से प्राप्त प्रस्तावों का निम्न स्थाई समितियों द्वारा परीक्षण किया जाकर प्रत्येक वर्ष 1 नवम्बर तक अपनी सिफारिश प्रस्तुत की जावेगी ।

उत्तम सेवा चिन्ह, अति उत्तम सेवा चिन्ह तथा सर्वोत्तम सेवा चिन्ह प्रदान करने के लिए स्थाई समिति का गठन महानिदेशक कारागार राजस्थान की अध्यक्षता में निम्न प्रकार होगा :–

1.	महानिदेशक कारागार	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त महानिदेशक कारागार	सदस्य
3.	वरिष्ठतम उप महानिरीक्षक कारागार	सदस्य सचिव

असाधारण कार्य पुरस्कार पदक के लिए चयन समिति निम्न प्रकार होगी :—

1.	अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव	अध्यक्ष
2.	महानिदेशक कारागार	सदस्य
3.	अतिरिक्त महानिदेशक कारागार	सदस्य सचिव

समिति द्वारा प्राप्त कार्मिकों के प्रकरणों का परीक्षण परिशिष्ट "स" पर वर्णित प्रक्रिया अनुसार किया जावेगा ।

स्थायी समिति द्वारा संतुतित किये गये कार्मिकों को आगामी 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) के अवसर पर निम्नानुसार सम्मानित किया जायेगा :—

उत्तम सेवा चिन्ह	—	संबंधित मण्ड़लाधिकारी द्वारा मण्डल कारागृह पर
अति उत्तम सेवा चिन्ह	—	संबंधित उप महानिरीक्षक कारागार, रेन्ज द्वारा रेन्ज स्तर पर
सर्वोत्तम सेवा चिन्ह	—	महानिदेशक कारागार द्वारा महानिदेशालय कारागार, जयपुर पर
असाधारण कार्य पुरस्कार पदक	—	महानिदेशक कारागार द्वारा महानिदेशालय कारागार, जयपुर पर

<u>सामान्य निर्देश</u>

अलंकरण दिवस के अवसर पर असाधारण कार्य पुरस्कार पदक प्राप्तकर्ता तथा सर्वोत्तम सेवा चिन्ह प्राप्तकर्ता अपनी पत्नि / पति को समारोह में दर्शक के रूप में साथ ला सकेगा।

24/7/2013

महनिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर ।

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशेषाधिकारी, गृह (ग्रुप—12) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को उनके पत्रांक प.1(15) गृह—12 / कारा / 2009 दिनांक 13.05.2013 के क्रम में ।
2. उप महानिरीक्षक कारागार, रेन्ज, जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर ।
3. समस्त अधीक्षक / उपाधीक्षक / प्रभाराधिकारी, केन्द्रीय / जिला / उप कारागृह, राजस्थान ।

4. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर ।
5. अधीक्षक, (मुख्यालय), कारागार राजस्थान, जयपुर ।
6. उपाधीक्षक, महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर।
7. प्रभाराधिकारी, युवा बाल बंदी सुधारगृह, जैतारण ।
8. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
9. वरिष्ठ निजी सहायक, अति. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर ।
10. समस्त शाखा प्रभारी, मुख्यालय कारागार, जयपुर।

22/7/2013

महनिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर ।

परिशिष्ठ "अ"

.... दिवस पर प्रदान किये जाने वाले उत्तम सेवा चिन्ह/अति उत्तम सेवा चिन्ह/ सर्वोत्तम सेवा चिन्ह/ असाधारण कार्य पुरस्कार की संस्तुति ।

1.	संस्तुत अधिकारी का नाम	:–		
2.	पिता का नाम	:–		
3.	पद	:–		
4.	वर्तमान पदस्थापन का विवरण	:–		
5.	स्थाई पता	:–		
6.	जन्म दिनांक	:–		
7.	प्रथम नियुक्ति की तिथि	:–		
8.	वर्तमान पद पर पदोन्नति की तिथि	:–		
9.	दिनांक 01.04.201........को कुल सेवावधि	:–		
10.	दण्ड़ का प्रकार	:–	संख्या	वर्ष
	लघु	:–	:–	
	वृहद्	:–	:–	
11.	विचाराधीन विभागीय जांच (कोई हो) का विवरण	:–		
12.	(क) उत्तम सेवा चिन्ह प्रदान करने के जेल मुख्यालय आदेश कमांक व दिनांक	:–		
	(ख) अति उत्तम सेवा चिन्ह प्रदान करने के जेल मुख्यालय के आदेश कमांक व दिनांक	:–		
13.	असाधारण कार्य पुरस्कार के संबंध में विस्तृत विवरण ।	:–		

प्रमाणित किया जाता है कि कम संख्या 1 से 13 तक में अंकित सभी सूचनाऐं जेल कर्मी की सेवापुस्तिका से प्रमाणित कर अंकित की गई है।

संस्तोता अधिकारी के हस्ताक्षर
पद व मुहर सहित

परिशिष्ठ "ब"

"निन्दा विहीनता एवं निष्ठा प्रमाण पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... जिनको उत्तम/अति उत्तम/सर्वोत्तम सेवा चिन्ह/असाधारण कार्य पुरस्कार प्रदान करने की सिफारिश की गई हैं, की सत्य निष्ठा के बारे में कोई संदेह नहीं हैं, और यह कि उनका किसी ऐसी कार्यवाही से संबंध नहीं है, जिसकी न्यायालय द्वारा भर्त्सना की गई हो। यह भी प्रमाणित किया जाता है, कि वर्तमान सिफारिश से संबंधित मनोनीत व्यक्ति के आचरण के संबंध में कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

सिफारिश करने वाले प्राधिकारी के

हस्ताक्षर पद सहित ।

वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन से अंक प्रदान करने की प्रक्रिया

उत्तम सेवा, अति उत्तम सेवा तथा सर्वोत्तम सेवा के लिए पूर्णांक क्रमशः 30, 54 तथा 75 होगें। उनमें प्राप्तांक हेतु प्रत्येक वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन के लिये –

1. "उत्कृष्ट" श्रेणी के उल्लेख पर 3 अंक
2. "बहुत अच्छा" श्रेणी के उल्लेख पर 2 अंक
3. "अच्छा" श्रेणी के उल्लेख पर 1 अंक
4. "संतोषप्रद / औसत" श्रेणी के उल्लेख पर ½ अंक प्रदान किया जावेगा।

उदाहरणार्थ –

"क" नाम के कारागार कर्मी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन के प्रथम वर्ष में "औसत" फिर अगले तीन वर्षो तक "उत्कृष्ट" फिर अगले चार वर्षों में "बहुत अच्छा" और शेष 2 वर्षों में "अच्छा" टिप्पणी अंकित हुई हो तो उसे उत्तम सेवा चिन्ह प्रदान करने के क्रम में ½+3+3+3+2+2+2+2+1+1=19½/30 अंक अर्थात पूर्णांक 30 में प्राप्तांक 19½ हुए।